

द्वितीय अपील प्रकरण कमांक ए/1755/2012

यह द्वितीय अपील, अपीलार्थी श्री रामजी सिंह यादव द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 19 के अंतर्गत (उत्तरवादी कं0 01) श्री गिरधर दीक्षित, जनसूचना अधिकारी/सचिव, ग्राम पंचायत सेमरसेल, जनपद पंचायत, लोरमी, जिला मुंगेली (छ0ग0) तथा (उत्तरवादी कं0 02) श्री मेवालाल महादेव, प्रथम अपीलीय अधिकारी, कार्यालय जनपद पंचायत लोरमी, जिला मुंगेली (छ0ग0) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण यह है कि अपीलार्थी ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 3.4.12 द्वारा उत्तरवादी कमांक 01, जनसूचना अधिकारी से निम्नानुसार सूचना/जानकारी की मांग की थी :-

“ वर्ष 2011-2012 में किन किन कार्यों के लिए कितनी राशि स्वीकृत हुई तथा स्वीकृति पश्चात् किन किन कार्यों को पूर्ण किया गया पूर्णता पश्चात् आये खर्च का विवरण प्रमाणित दस्तावेजों के साथ जानकारी प्रदान की जावे।”

सूचना/जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलार्थी द्वारा उत्तरवादी कमांक 02, प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई निर्णय पारित न किये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा आयोग के समक्ष द्वितीय अपील की गई। द्वितीय अपील आवेदन में अपीलार्थी ने संबंधित विभाग से चाही जानकारी से वंचित किये जाने से संबंधित अधिकारी के खिलाफ वैधानिक रूप से विभागीय कार्यवाही तथा उत्तरवादीगण के खिलाफ शास्ति अधिरोपित करने की मांग की है।

प्रकरण की सुनवाई दिनांक 08.05.14 को उत्तरवादी कं0 01, जनसूचना अधिकारी श्री रमाशंकर, सचिव, ग्राम पंचायत सेमरसेल, जनपद पंचायत लोरमी उपस्थित थे और उन्हें निर्देशित किया गया था कि जानकारी देने में हो रहे विलंब का कारण बताते हुए प्रकरण के संबंध में विस्तृत जवाब आयोग को प्रेषित करें कि उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 19 सहपठित 20 के अंतर्गत शास्ति आरोपित करने व क्षतिपूर्ति दिलाने की कार्यवाही क्यों न की जाये। इस हेतु कारण बताओ नोटिस उन्हें जारी किया गया। दिनांक 7.8.2014 की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी उपस्थित हुए। उत्तरवादी कं 01, श्री रमाशंकर कश्यप, जनसूचना अधिकारी/सचिव, ग्राम पंचायत सेमरसेल भी उपस्थित हुए परंतु उन्होंने कोई जवाब या कारण बताते हुए व उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और न ही उन्होंने मौखिक रूप से इस संबंध में कुछ कहा। उन्हें इस हेतु एक अवसर और दिया गया। इसके बाद सुनवाई दिनांक 4.9.14 को उत्तरवादी कं 01, श्री रमाशंकर कश्यप, जनसूचना अधिकारी/सचिव, ग्राम पंचायत सेमरसेल अनुपस्थित रहे। उनकी ओर से कोई जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उत्तरवादी कं0 01 ने वांछित सूचना/जानकारी अपीलार्थी को नहीं दी है और पर्याप्त अवसर देने के बाद भी उन्होंने इतने समय तक जानकारी नहीं देने का कोई कारण नहीं बताया है और शास्ति व क्षतिपूर्ति क्यों न आरोपित की जाये इसका भी कोई कारण नहीं बताया है। इसका अर्थ यही हुआ कि वे जानबूझकर वांछित सूचना/जानकारी नहीं दे रहे हैं। अतः दो वर्षों से अधिक विलंब के बाद भी वांछित सूचना/जानकारी नहीं देने और उसका कोई कारण भी नहीं बताने के कारण तथा जानकारी तक पहुंच में बाधा पहुंचाने के कारण उत्तरवादी कं 01, श्री रमाशंकर कश्यप, जनसूचना अधिकारी/सचिव, ग्राम पंचायत सेमरसेल, जनपद पंचायत लोरमी, जिला मुंगेली पर अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) की शास्ति आरोपित की जाती है साथ ही अधिनियम की धारा 19(8)(ख) के अंतर्गत विलंब के लिए अपीलार्थी द्वारा वहन

किये गये मानसिक तथा शारीरिक कष्ट के लिए 2,000/- (दो हजार रुपये) की क्षतिपूर्ति अपीलार्थी को दिये जाने का आदेश दिया जाता है। चूंकि उत्तरवादी कं0 01 ने वांछित सूचना/जानकारी प्रदान नहीं की है और न ही कोई जवाब दिया है। अतः स्पष्ट है कि वे जानकारी नहीं देना चाहते अतः मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत लोरमी, जिला मुंगेली के प्रथम अपीलीय अधिकारी भी हैं, को आदेशित किया जाता है कि वे ग्राम पंचायत के रिकार्ड को देखकर यदि वांछित सूचना/जानकारी उपलब्ध है तो उसे निःशुल्क अपीलार्थी को उपलब्ध करावें और प्रतिवेदन प्रस्तुत करें और यदि वांछित सूचना/जानकारी उपलब्ध नहीं है तो तदनुसार प्रतिवेदन दें ताकि प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जा सके। वे अपना प्रतिवेदन आगामी तिथि तक दें।

इस आदेश की प्रतिलिपि अपीलार्थी, उत्तरवादी कं0 01, श्री रमाशंकर कश्यप, जनसूचना अधिकारी/सचिव, ग्राम पंचायत सेमरसेल, जनपद पंचायत लोरमी, जिला मुंगेली तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत लोरमी, जिला मुंगेली को सूचनार्थ एवं पालनार्थ भेजी जाये।

(सुनवाई : 04/12/2014)

सही/-
(जवाहर श्रीवास्तव)
राज्य सूचना आयुक्त